

FIRST APPEAL DETAILS(प्रथम अपील विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	FSOID/A/E/24/00036	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	04/08/2024
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Online Receipt	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Name (नाम) :	Kumar Kalbande	Gender (लिंग) :	Male
Address (पता) :	C/o S B Kalbande Balaji Appt Flat No 16-5A, Atrey Lay Out Pratap Nagar, Katol Nagpur		
State (राज्य) :	Maharashtra	Country (देश) :	India
Phone Number (फोन नंबर) :	+91-9356009568	Mobile Number (मोबाईल नंबर) :	+91-9356009568
Email-ID (ईमेल-आईडी) :	kumarkalbande@gmail.com		
Status (स्थिति) :	Rural	Educational Status (शैक्षणिक स्थिति) :	Above Graduate
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	Does It Concern Life or Liberty of a person :	Details not provided.
RTI Request Registration No(सूचना का अधिकार अनुरोध पंजीकरण सं.) :	FSOID/R/E/24/00073	RTI Request Registration Date(सूचना का अधिकार अनुरोध पत्र दिनांक) :	27/06/2024
CPIO's Order/Decision No. (सीपीआईओ का आदेश / निर्णय संख्या) :	Details not provided	Date of Receipt of CPIO's Order/Decision(सीपीआईओ के आदेश / निर्णय के रसीद की तारीख) :	Details not provided
Ground for Appeal(अपील का आधार) :	Provided Incomplete,Misleading or False Information	Reason for delay(if any) in filing this appeal(इस अपील को दायर करने में विलंब, यदि कोई हो, का कारण) :	N/A
Prayer or Relief Sought(प्रार्थना या अनुरोध की गई राहत) :	The CPIO provided false information. How come Letter of 3-13/2018-Admin 2559 belongs to file no 7-10/2010. Further , I have requested copies of entire file. And Notesheet. On Letter No 7-14/2010-Admin-1224 dated 30 July 2021, The remark is mentioned that above transfer was approved by DG in Notesheet of File No 7-14/2010-Admin. Please provide true copies of all requested documents Notesheet of File No 7-14/2010-Admin. The appellate authority has never taken any action of malpractice and for the same reason applicant has to reach to 2nd appeal which increase burden of COC and further delay the information. Appellate authority never given online hearing to Applicant. Not single time, the applicant got relief from appellate authority against the desired information which supposed to be provided as per provisions of RTI Act 2005. The appellate authority is safeguarding CPIO which increase burden of CIC and further delays the information sought by Applicant. However, in state of Maharashtra proper appeal was always taken place. You may direct the CPIO for information requested and take strict action against false and misleading information provided.		

ACTION HISTORY OF RTI FIRST APPEAL No. : FSOID/A/E/24/00036

Applicant Name
(आवेदक का नाम) Kumar Kalbande

Text of Appeal
(अपील का पाठ) The CPIO provided false information. How come Letter of 3-13/2018-Admin 2559 belongs to file no 7-10/2010. Further , I have requested copies of entire file. And Notesheet. On Letter No 7-14/2010-Admin-1224 dated 30 July 2021, The remark is mentioned that above transfer was approved by DG in Notesheet of File No 7-14/2010-Admin. Please provide true copies of all requested documents Notesheet of File No 7-14/2010-Admin. The appellate authority has never taken any action of malpractice and for the same reason applicant has to reach to 2nd appeal which increase burden of COC and further delay the information. Appellate authority never given online hearing to Applicant. Not single time, the applicant got relief from appellate authority against the desired information which supposed to be provided as per provisions of RTI Act 2005. The appellate authority is safeguarding CPIO which increase burden of CIC and further delays the information sought by Applicant. However, in state of Maharashtra proper appeal was always taken place. You may direct the CPIO for information requested and take strict action against false and misleading information provided.

Reply of Appeal
(अपील का उत्तर) The sought information has been provided by CPIO under RTI Act, 2005. Appeal disposed of.

SNo. (क्रमांक)	Action Taken (कार्रवाई की गई)	Date of Action (कार्रवाई की तारीख)	Action Taken By(कार्रवाई के द्वारा लिया)	Remarks(टिप्पणि)
-------------------	--	---------------------------------------	---	------------------

[Print](#)[Close](#)

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.FSOID/R/E/24/00073

Applicant Name Kumar Kalbande

Text of Application Respected CPIO FSI Dehradun Please find the attachment. Under the section of RTI Act 2005, kindly provide the following information
1) True copies of all the documents including Notesheet of File No 7-4/2010-Admin I am ready to pay legal charges

Reply of Application please find attachment for sought information.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	27/06/2024	Nodal Officer	
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	27/06/2024	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) : (1) Sugandha Srivastava
3	REQUEST DISPOSED OF	25/07/2024	Sugandha Srivastava- (CPIO)	

Print

संख्या-13-12/2023-प्रशा0 4471
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो0ऑ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195

दिनांक 28 मार्च, 2024

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून।

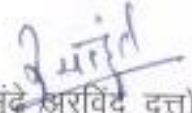
विषय:- RTI under the Right to information Act, 2005.

संदर्भ:- पत्र संख्या:-13-9/2023-आर0टी0आई0-4371 दिनांक 20.03.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि Shri Kumar Kalbande, Maharashtra के आर0टी0आई0 आवेदन पत्र संख्या:-Registration No. FSOID/R/E/24/00039 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा मांगी गई संबंधित उपलब्ध सूचना प्रशासन अनुभाग से प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,


(मुंदे अरविंद दत्त)
उप निदेशक (का0 एवं प्रशा0)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार


28/03

RTI Unit

संख्या 3-13/2018-प्रशा 2559

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

पो०ओ० आई०पी०ई०

कौलागढ मार्ग देहरादून-248195

दिनांक 07 मार्च, 2019

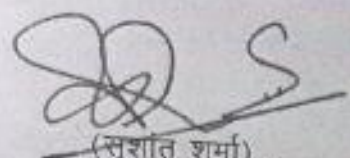
कार्यालय आदेश

संस्थान में कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के उनके स्वयं के अनुरोध पर व संबंधित क्षेत्रीय निदेशक की अनुशंसा के आधार पर उनका स्थानांतरण निम्न विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र०स०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्यालय जहां कार्यरत है।	कार्यालय का नाम जहां स्थानांतरित किया जाता है।
1.	Sh.Imtjongshi, JTA	FSI, EZ, Kolkata	FSI, Hqrs.Office, Dehradun
2.	Sh. Vikas Singh, JTA	FSI, Hqrs.Office, D.Dun	FSI, EZ, Kolkata.

श्री विकास सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक का स्थानांतरण भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल, कोलकाता में इस शर्त के साथ किया जाता है कि उनकी सेवाएं भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल, कोलकाता के अंतर्गत आने वाले गुवाहाटी केन्द्र में ली जाएंगी।

यह आदेश महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।



(सुशान्त शर्मा)

संयुक्त निदेशक(का० एवं प्र०)

वितरण:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
2. संयुक्त निदेशक, एफ०जी०डी०, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
3. सहायक निदेशक(लेखा), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
4. श्री इमतीजोंगशी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल, कोलकाता।
5. श्री विकास सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
6. श्रीमती सुमित्रा मैसी, उच्च श्रेणी लिपिक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
7. श्री योगेन्द्र कुमार, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
8. कार्यालय आदेश फाइल।

प्रतिपद
27-03-2019

संख्या 3-13/2018-प्रशा0 2568

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

पो0ओ0 आई0पी0ई0

कौलागढ मार्ग देहरादून-248195

दिनांक 07 मार्च, 2019

कार्यालय आदेश

संस्थान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों उनके स्वयं के अनुरोध पर व संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के आधार पर उनका स्थानांतरण निम्न विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

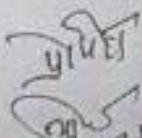
क्र0स0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्यालय जहां कार्यरत है।	कार्यालय का नाम जहां स्थानांतरित किया जाता है।
1.	Dr. Salman Khan, Dy. Ranger	FSI, CZ, Nagpur	FSI, NZ, Shimla
2.	Sh. Chandramohan K., Dy. Ranger	FSI, NZ, Shimla	FSI, CZ, Nagpur

यह आदेश महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।


(सुशांत शर्मा)
संयुक्त निदेशक(का0 एवं प्र0)

वितरण:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, केन्द्रीय अंचल, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, उत्तरीय अंचल, शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
3. डा0 सलमान खान, उपरेंजर, भारतीय वन सर्वेक्षण, केन्द्रीय अंचल, नागपुर।
4. श्री चन्द्रमोहन के0, उपरेंजर, भारतीय वन सर्वेक्षण, उत्तरीय अंचल, शिमला।
5. श्रीमती सुमित्रा मैसी, उच्च श्रेणी लिपिक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
6. कार्यालय आदेश फाइल।


07-03-2019

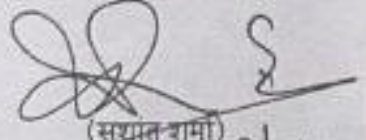
दिनांक 30 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

संस्थान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों का स्थानांतरण लोकहित में निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र0स0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्यालय जहां कार्यरत है।	कार्यालय का नाम जहां स्थानांतरित किया जाता है।
1.	श्री सिद्धार्थ कुमार, ब0त0स0	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला
2.	श्री प्रदीप कुशवाहा, ब0त0स0	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर
3.	श्री आर0डी0 पाटील, क0त0स0	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर
4.	श्री कुमार श्री0 कलबंदे, ब0त0स0	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
5.	श्री के0पी0 सिंह, ब0त0स0	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	भा0ब0स0, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर

यह आदेश महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।


(सुशान्त शर्मा)
संयुक्त निदेशक(का0एवं प्र0) 30/7

वितरण:-

- वैयक्तिक सहायक महानिदेशक को सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय/उत्तरीय/पूर्वी/दक्षिणी क्षेत्र, नागपुर/शिमला/कोलकाता/बंगलौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संबंधित कर्मचारी।
- श्रीमती सुमित्रा मैसी, अधीक्षक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
- फाईल संख्या 3-13/2018-प्रशा0
- कार्यालय आदेश फाइल।

Above transfer approved by DG in the note sheet of FM 7-4/2010-Adm. regarding Miscellaneous correspondence of CZ, Nagpur. The above file is lying with...

संख्या 3-13/2018-प्रशा-9727

भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो०ओ० आई०पी०ई०
कौलागढ़ मार्ग देहरादून-248195

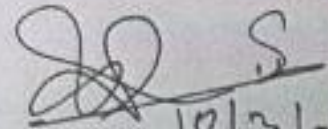
दिनांक 10 मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

संस्थान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को उनके स्वयं के अनुरोध पर व संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के आधार पर, उनका स्थानांतरण निम्न विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

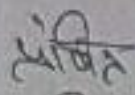
क्र०स०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्यालय जहां कार्यरत है।	कार्यालय का नाम जहां स्थानांतरित किया जाता है।
1.	श्री दुर्गेश कुमार नागर-II, व०त०स०	भा०व०स०, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	भा०व०स०, मुख्यालय, देहरादून
2.	श्री विनीत दहिया, अ०श्रे०लि०	भा०व०स०, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर	भा०व०स०, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

यह आदेश महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।


10/3/22
(सुशांत शर्मा)
संयुक्त निदेशक (का० एवं प्र०)
BIC
HMS

वितरण:-

- वैयक्तिक सहायक महानिदेशक को सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
- सहायक निदेशक (लेखा), भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय, देहरादून।
- श्री दुर्गेश कुमार नागर-II, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता।
- श्री विनीत दहिया, अवर श्रेणी लिपिक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर।
- श्री शुभम कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
- कार्यालय आदेश फाइल।


10/3/2022

संख्या-13-7 / 2024-प्रशा0-1341
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
डाकघर-आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195

दिनांक 24 जुलाई, 2024

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून।

विषय:- RTI under the Right to information Act, 2005.

संदर्भ:- पत्र संख्या:-13-9 / 2024-आर0टी0आई0-1040 दिनांक 02.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि Shri Kumar Kalbande, Maharashtra के आर0टी0आई0 आवेदन पत्र संख्या:-Registration No. FSOID/R/E/24/00073 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा मांगी गई सूचना विस्तृत है। अतः मागकर्ता इस कार्यालय में आकर अपनी वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

प्रति
अ. न.
RTE/24

भवदीया,
(सविता सेमवाल)
सहायक निदेशक (का0 एवं प्रशा0)